पत्र संख्या–14 / डी0एल0ए0 किशनगंज (आवासीय परिसर)–14 / 2013-- पटना–15, दि0–

बिहार सरकार,

राजस्व एंव भूमि सुधार विभाग,

भू–अर्जन प्रशाखा,

(अधिसूचना)

पत्रांक–1793/आर0, पटना, दिनांक–15–07–13

चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि किशनगंज जिला के किशनगंज अंचल अन्तर्गत मौजा –सुन्दरायण ,थाना– किशनगंज, थाना नं0 –110 के परगना–सुरजापुर, अंचल –किशनगंज, जिला – किशनगंज में जिला पदाधिकारी,किशनगंज के आवासीय परिसर के भीतर पड़नेवाली रैयती भूमि के भू–अर्जन के लिए सरकार के खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है। इसके लिए अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ मौजा – सुन्दरायण, थाना नं0 – 110 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कमोबेश कुल रकवा– 0 हेक्टेयर 27 एयर 49 पोवाईन्ट या 0 एकड़ 67 डीसीमल 90.03 कड़ी (लगभग–0.68 एकड़) के बराबर होता है, जिसका प्लॉट संख्या निम्नांकित है :–

मौजा	थाना नं0/वार्ड नं0	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकवा			रकवा		
				हे0	ए0	पो0	ए.	डी.	कड़ी
सुन्दरायण	110/20	235	322	0	16	00	0	39	52.00
		148	323 क	0	01	59	0	3	92.73
		68	322/600	0	02	90	0	7	16.30
		32	322/601	0	02	80	0	6	91.60
		92	322/602	0	01	40	0	3	45.80
		140	322/603	0	01	40	0	3	45.80
		126	322/604	0	01	40	0	3	45.80
			कुल::	0	27	49	0	67	90.03
				0.68 एकड़					

चौहद्दी :– उत्तर :– खेसरा संख्या–538 ख अंश, 533, 321 ग अंश

दक्षिण :– खेसरा संख्या–322 अंश

पूरब :– खेसरा सं0 – 321 ग अंश

पश्चिम :– खेसरा संख्या–322 अंश, 323 क अंश

यह अधिसूचना बिहार भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (समय–समय पर संशोधित) की धारा 4 के उपबंधों के अधिन उन सभी रैयतों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे सम्बन्ध हो। भूमि का नक्शा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, किशनगंज के कार्यालय में कार्यालय दिवस को देखा जा सकता है।

बिहार सरकार भू–अर्जन पदाधिकारी,किशनगंज और उनके कर्मचारियों तथा इस परियोजना से संबंधित आरंभिक तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप धारा 2 में यथा उपबंधित विर्निदिष्ट अपने कार्यों के समूचित निष्पादन के लिए तथा अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

उक्त अधिनियम की धारा 17 (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि परियोजना की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

समाहर्त्ता,
किशनगंज।

सरकार के अवर सचिव,

ज्ञापांक–1793/आर0/भू–अर्जन,पटना, दिनांक–15–07–13

प्रतिलिपि :: निदेशक,जन सम्पर्क विभाग,बिहार,पटना को अधिसूचना की तीन प्रतियों सहित दो दैनिक समाचार पत्रों जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एंव प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी,किशनगंज को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :: उप समाहर्त्ता प्रभारी, जिला गजट, किशनगंज समाहरणालय के जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित एंव प्रकाशित गजट की दस–दस (10–10) प्रतियाँ इस विभाग को एंव जिला भू–अर्जन पदाधिकारी,किशनगंज को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :: समाहर्त्ता, किशनगंज / जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव,
राजस्व एंव भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना ।